रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 8, 2018/फाल्गुन 17, 1939
No. 122] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 2018/PHALGUNA 17, 1939

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2018

आर बी ई सं. 37/2018

सा.का.नि. 210 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. इन नियमों को रेल सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा.

2. रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के नोट 2 के नीचे निम्नानुसार नोट 3 जोड़ा जाए:-

"लेखा विभाग सहित सभी संगठित सेवाओं के समूह 'बी' के 80% अधिकारियों को 3 वर्ष की नियमित सेवा के बाद लेवल 10 प्रदान करने से संबंधित मौजूदा शर्तों का अधिक्रमण करते हुए, सभी संगठित सेवाओं में लेखा विभाग को छोड़कर समूह 'बी' के अधिकारियों को लेवल 8 के ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरा करने के बाद लेवल 10 का संशोधित वेतनमान दिया जाएगा. लेखा विभाग के समूह 'बी' अधिकारियों के लिए, लेवल 10 का संशोधित वेतनमान लेवल-9 के ग्रेड में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दिया जाएगा.

सभी संगठित सेवाओं के संबंध में तदर्थ आधार पर संशोधित वेतनमान लेवल 11 में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे समूह 'बी' अधिकारियों सहित रजिस्टर में दर्ज समूह 'बी' अधिकारियों की 100 % की सीमा तक (पात्रता की शर्तें पूरी करने की शर्त पर) लेवल 10 का संशोधित वेतनमान इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा तथा उसके बाद आने वाले वर्षों की 1 जनवरी एवं 1 जुलाई से प्रभावी होगा".

व्याख्यात्मक ज्ञापन

सरकार की सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के कारण रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में संशोधन आवश्यक हो गया है तथा दिनांक 5.2.1998 तथा 25.4.2003 की अधिसूचना द्वारा रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार समूह 'बी' में 80:20 का वितरण संशोधित किया गया है.

[फा.सं. पीसी-VII/2017/आरएसआरपी/1]

रंजनेश सहाय, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2018

RBE No. 37/2018

G.S.R. 210(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment in Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 namely :-

1. These Rules may be called Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2018.
2. Below Note 2 of the Schedule to Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016, Note 3 may be inserted as under :-

> "In supersession of the existing conditions regarding grant of Level 10 to 80% of Group 'B' Officers of all Organised Services including Accounts Department after 3 years regular service, for Group 'B' Officers of all Organised Services other than Accounts Department, the revised scale of Level 10 will now be granted after completion of four years regular service in the grade of Level 8. For Group 'B' Officers of Accounts Department, the revised scale of Level 10 will now be granted after completion of four years service in the grade of Level-9.
>
> The revised scale of Level 10 may be operated to the extent of 100% of the Group 'B' Officers on roll including Group 'B' Officers officiating in the revised scale Level 11 on ad-hoc basis (subject to fulfillment of eligibility conditions) in respect of all organized services, with effect from the date of publication of these rules and thereafter with effect from 1st January and 1st July of subsequent years".

Explanatory Memorandum

The amendment to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 has been necessitated by the Government's acceptance of 7th CPC recommendations modifying the 80:20 distribution within Group 'B' as provided in Railway Services (Revised Pay) Rules vide notification dated 05.02.1998 and 25.04.2003.

[F. No. PC-VII/2017/RSRP/1]

RANJANESH SAHAI, Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.03.08 18:18:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.